



कुचामनसिटी
811424

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
रमेश पुत्र पैमायन 718 मिनाका	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	315/2021	GCMS No. 2021/1108
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
811424	<p>वादी श्री रमेश पुत्र पैमायन जाति 718 निवासी मिनाका द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत कुचामनसिटी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 ग्राम अमरा पटवार मण्डल कुचामनसिटी के खाता नम्बर 75 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि रमेश पुत्र पैमायन दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम रमेश पुत्र पैमायन है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 2576 7575 9014 मतदाता पहचान पत्र Rnv/0145376 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी कुचामनसिटी भू.अ.नि अमरा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
		1284-1285
		  उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)